

दिनांक	आज्ञा पत्र
4.23	पत्रावली पेश। प्रकार: गै रैस्पोंडेंट की तामील सेव है। इस हेतु गैरिजिस्टर्ड शेप रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस अफिले करे। जो पेश लेने पर जारी हो। अफिले का रीप्रेजेंटेशन निस्तारण किया जा लगे। पत्रावली वास्तु तामील दिनांक 18.7.23 को पेश हों।
18.7.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....S. 18.7.23 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.9.23 को पेश हों।
14.9.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....14.9.23 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.9.23 को पेश हों।
4.12.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....4.12.23 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31.1.24 को पेश हों।
31.1.24	पत्रावली पेश। अफीलेंट अपीलंट 39। शेप के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करके पेश जारी हो। अफिले तामील दिनांक 15.4.24 को पेश हों।
15/4/24	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रैस्पों.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....15.4.24 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15.4.24 को पेश हों।
18-6-24	पत्रावली पेश। वकील अपीलंट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेप रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलंट ने रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नही किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुभकर होकर नए से कम होकर बाद तामील तामील दफ्तार हो। भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सोकर